



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या:- ५२

/12-1 देहरादून: दिनांक

०५- जुलाई, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के०),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :-जनपद-चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ एन०एच० 125
(नया-09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है० वन भूमि का सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन।(Online Proposal no. FP/UK/ROAD/31090/2017)।

संदर्भ :-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के
आर०ई०सी० बैठक दिनांक 27.10.2023 एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा के पत्रांक 3250/12-1(2) दिनांक 11.06.2024 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त REC Meeting दिनांक
27.10.2023 के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के
सन्दर्भित पत्र से प्राप्त आख्या/सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है :-

क्र.॥	भारत सरकार द्वारा उल्लिखित बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	Location of muck dumping site is also required to be marked in the KML file of the proposal.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के०एम०एल० फाईल में अंकित कर दिया गया है।
2	Submission of separate enumeration of trees for muck dumping sites to the Regional Office and no tree felling should be carried out in the area proposed for muck dumping.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण के दौरान मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक नहीं है।
3	It shall be ensured that once the muck dumping is carried out, the area of muck dumping proposed in forest land should be stabilized and returned to the forest department for which detailed reclamation plan will be provided.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में मलवा डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किंगे जाने हेतु वन विभाग द्वारा जो भी कार्ययोजना प्रस्तावित की जाएगी उसे प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। (संलग्नक-01)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन)
अधिनियम, 1980 (यथासंशोधित 2023) के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या ५२ /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
- अधिशासी अभियन्ता, रा०रा० खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।